दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 21 मई, 2024

माध्य.या. 421/2024

मेसर्स किंग्स चेरियट
अपने एकमात्र मालिक श्रीमती नीलिमा सूरी पत्नी रोहित सूरी के
माध्यम से
इसका कार्यालय फ्लैट नंबर 103
टॉवर 1, सगावी अपार्टमेंट
सेक्टर-55, गुरुग्राम
हरियाणा
ईमेल: suri502kc@gmail.com
मोब. 9818593019 ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री अवसी मलिक, श्री अभिनव शर्मा,
श्री नवीन गौड़ एवं श्री दीपक जैन, अधिवक्ता

बनाम

श्री तरुण वाधवा
पुत्र स्वर्गीय वीरेन्द्र वाधवा
मेसर्स सनी विस्टा होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के संरक्षण में
ए.बी. रोड, गुना, मध्य प्रदेश
ई-मेल: tarunwadhwaguna@gmail.com ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री संयम माहेश्वरी और श्री भरत खुराना, अधिवक्तागण

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना कृष्णा बंसल

<u>निर्णय *(मौखिक)*</u>

<u>अं.आ. 7215/2024 *(छूट)*</u>

1. सभी अपवादों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है।

2. आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>माध्य.या. 421/2024</u>

4. यह याचिका याचिकाकर्ता की ओर से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 की धारा 11 (5) के अधीन एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता देश भर में होटलों, कार्यालयों, कारखानों, सभागारों, स्कूलों और कॉलेजों के लिए आंतरिक विकास कार्यों को निष्पादित करने के व्यवसाय में है और प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश के गुना में एक बहुमंजिला होटल का निर्माण कर

रहा था। प्रत्यर्थी ने उक्त होटल के लिए आंतरिक विकास कार्यों को निष्पादित करने के लिए याचिकाकर्ता से संपर्क किया।

6. इसके अनुसरण में, दिल्ली में पक्षों के बीच बैठक आयोजित की गई और पक्षों ने 11.10.2018 को एक एमईपी अनुबंध किया।

7. यह दावा किया गया है कि 03.07.2021 को प्रत्यर्थी ने अत्यंत *दुर्भावनापूर्ण* इरादों के साथ याचिकाकर्ता के श्रमिकों और कार्यबल के साथ हाथापाई की, जो परियोजना स्थल पर मौजूद थे और उन्हें साइट से बाहर फेंक दिया, जिससे पक्षों के बीच विवाद हुआ।

8. प्रत्यर्थी ने 18.01.2024 को अनुबंध में निहित *मध्यस्थता खंड को लागू करने का एक नोटिस* भेजा। याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.02.2024 को उत्तर दिया और प्रत्यर्थी से बकाया राशि का भुगतान करने का आह्वान किया, लेकिन प्रत्यर्थी ने न तो बकाया राशि का भुगतान किया और न ही आज तक कोई जवाब दिया है।

9. याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की है।

10. **प्रत्यर्थी ने याचिका का जवाब दायर** किया है जिसमें दो आपत्तियां उठाई गई हैं। *पहली आपत्ति* यह है कि वर्तमान याचिका कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करती है, जबकि *दूसरी आपत्ति* यह है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान मुकदमे पर विचार करने का *कोई अधिकार क्षेत्र नहीं* है क्योंकि दिल्ली में कार्रवाई के कारण का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ है।

11. यह प्रस्तुत किया गया है कि कार्रवाई का पूरा कारण मध्य प्रदेश में उत्पन्न हुआ है और ऐसा मध्यस्थता का कोई स्थान या सीट नहीं है जिस पर पक्षों के बीच अनुबंध में सहमति हुई थी। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता 11.10.2018 के एमईपी अनुबंध के "अनुलग्नक -2" में उल्लिखित एक खंड को आधार बनाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि "*सभी विवाद केवल दिल्ली क्षेत्राधिकार के अधीन हैं*"। हालांकि, इस खंड को दिल्ली में मध्यस्थता की सीट निर्दिष्ट करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, ताकि अधिनियम की धारा 11 के अधीन इस न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जा सके। *एमईपी अनुबंध की मध्यस्थता खंड संख्या 3* केवल विवादों को

मध्यस्थता के लिए भेजने की बात करती है, लेकिन मध्यस्थता की सीट और स्थान के बारे में कुछ नहीं कहती। चूंकि पक्षकारों द्वारा कोई सीट निर्दिष्ट नहीं की गई है और दिल्ली में विवाद का कोई कारण उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए इस न्यायालय को वर्तमान याचिका की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

12. *आरका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम कलसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड,* 2020 एससीसी ऑनलाइन डेल 2077 मामले को आधार बनाया गया है|

13. चूंकि मध्यस्थता की कोई सीट निर्धारित नहीं की गई थी, इसे अधीनस्थ रूप से अधिनियम की धारा 2(1)(ङ) को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 से 20 के साथ पढ़ते हुए तय किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एकल मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक आवेदन पहले ही प्रत्यर्थी द्वारा ग्वालियर पीठ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, जो वर्तमान याचिका के दाखिल होने से पहले का है और अभी विचाराधीन है।

14. इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह याचिका दिल्ली में सुनवाई योग्य नहीं है।

15. **प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता** ने दावा किया है कि एमईपी अनुबंध के लिए स्टाम्प पेपर याचिकाकर्ता द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में खरीदा गया था और अनुबंध पर उसके द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में ही हस्ताक्षर किए गए थे। उसने प्रत्यर्थी की शिकायत पर मध्य प्रदेश में उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्थानांतरण याचिका दायर की थी, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है ताकि जांच दिल्ली पुलिस की एसआईटी को सौंपी जा सके।

16. आगे यह कहा गया है कि भले ही अधिनियम की धारा 11 के अधीन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के समक्ष पहले की याचिका दायर की गई हो, लेकिन अधिकार क्षेत्र केवल दिल्ली में निहित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह खंड इस न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है और वर्तमान याचिका सुनवाई योग्य है।

17. वादी ने *असीम वत्स बनाम भारत संघ और अन्य*, मनु/आरएच/1285/2023, *होमविस्टा डेकोर एंड फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कनेक्ट रिसिडुएरी प्राइवेट लिमिटेड*, मनु/डब्लूबी/1155/2023, *सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एन्नू कॉर्प लिमिटेड*, मनु/डीई/4152/2023 मामले को आधार बनाया है।

18. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

19. प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना के लिए, एमईपी अनुबंध की खंड 3 का संदर्भ देना उपयुक्त होगा, जो मध्यस्थता के प्रावधानों को निर्धारित करती है। यह इस प्रकार है:

> *3) पक्षकारों के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, मामला मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा, और मध्यस्थ का चयन पक्षकारों द्वारा परस्पर सहमति से किया जाएगा।"*

20. यह इस खंड से स्पष्ट है कि इसमें मध्यस्थता आयोजित करने के स्थान या सीट को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। वादी ने एमईपी अनुबंध के 'परिशिष्ट-2' में समाहित खंड को आधार बनाया है, जो इस प्रकार है:

> *"सभी विवाद केवल दिल्ली न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होंगे।"*

21. उपरोक्त खंड एक सामान्य क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से संबंधित खंड है, लेकिन यह मध्यस्थता धारा में परिभाषित सीट या स्थान का उल्लेख नहीं करती। इस सामान्य क्षेत्रीय खंड को मध्यस्थता के उद्देश्य से सीट या स्थान को परिभाषित करने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता।

22. वर्तमान मामले में, मध्यस्थता खंड में मध्यस्थता के स्थान का उल्लेख नहीं है। सीट या स्थान को निर्धारित करने के लिए सामान्य क्षेत्रीय खंड को लागू नहीं किया जा सकता।

23. उच्चतम न्यायालय ने *मेसर्स रवि रंजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आदित्य कुमार चटर्जी,* 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 568 के मामले में यह देखा कि हालांकि अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) में न्यायालय की परिभाषा को धारा 11(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय मध्यस्थ/माध्यस्थम न्यायाधिकरण की नियुक्ति करने के लिए सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही, अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में अधिकार क्षेत्र की परवाह

किए बिना दायर नहीं किया जा सकता। अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) को धारा 2(1)(ई) के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और इसे उच्च न्यायालय के लिए समझा जाना चाहिए, जो अधिनियम, 1996 की धारा 2(1)(ई) के अंतर्गत न्यायालय पर अधीक्षण/पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह उल्लेख किया गया कि सिविल वादों को सुनने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रावधान अधिनियम, 1996 की धारा 16 से 20 में दिया गया है। वह न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यर्थी वास्तव में या स्वेच्छा से निवास करता है, व्यापार करता है, या जहां कारण के किसी भी हिस्से का उत्पन्न होना हुआ है, उस वाद को सुनने के लिए आवश्यक रूप से अधिकार क्षेत्र रखेगा। जहां अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत याचिका का संबंध है, वहां इसे मध्यस्थता समझौते और उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र द्वारा शासित किया जाएगा जिस पर पक्षकार सहमत हों, लेकिन यदि सीट क्षेत्राधिकार का कोई समझौता नहीं है, तो अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत

आवेदन केवल सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 16 से 20 के अनुसार उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में दायर किया जाएगा।

24. *इंडस मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम डाटाविंड इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य*, (2017) 7 एससीसी 678 *हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बनाम एनएचपीसी लिमिटेड और अन्य* (2020) 4 एससीसी 310 और *बीजीएस एसजीएस सोमा जेवी बनाम एनएचपीसी लिमिटेड*, (2020) 4 एससीसी 234 का संदर्भ दिया गया था, जहां पक्षकारों ने मध्यस्थता की सीट निर्दिष्ट की थी। इसे विशेष अधिकार क्षेत्र खंड के रूप में माना गया, जिसके परिणामस्वरूप केवल वे न्यायालय, जिनके अधिकार क्षेत्र में वह सीट स्थित है, को अन्य सभी न्यायालयों को छोड़कर क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

25. *यूनियन ऑफ इंडिया बनाम हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन (इंडिया) इंक,* (2019) 13 एससीसी 472 में उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि विभिन्न स्थानों पर "बैठकें" "स्थल" से संबंधित होती हैं। इसे

"मध्यस्थता की सीट"या "मध्यस्थता का स्थान" के साथ समानार्थी नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनकी भिन्न व्याख्या होती है।

26. इसी तरह, *मनकस्तु इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एयरविज़ुअल लिमिटेड,* (2020) 5 एससीसी 399 के मामले में, उच्चतम न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि "मध्यस्थता की सीट" किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही में महत्वपूर्ण पहलू है। यह लागू कानून और मध्यस्थता प्रक्रिया को भी निर्धारित करता है। अवस्थान केवल यह तय करने के बारे में नहीं है कि कोई संस्था कहाँ स्थित है या सुनवाई कहाँ आयोजित की जाएगी, बल्कि इसका संबंध इस बात से है कि कौन सा न्यायालय मध्यस्थता कार्यवाही पर पर्यवेक्षी अधिकार का प्रयोग करेगा।।

27. इसी तरह की टिप्पणियां *एनेरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनेरकॉन जीएमबीएच [एनेरकॉन (इंडिया) लिमिटेड बनाम एनेरकॉन जीएमबीएच,* (2014) 5 एससीसी 1 में की गई थीं, जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी माना

गया था कि "सीट का स्थान" मध्यस्थता कार्यवाही की देखरेख के लिए न्यायालय के अनन्य अधिकार क्षेत्र का निर्धारण करेगा।

28. उपरोक्त सभी निर्णयों का संदर्भ लेने के बाद, *मेसर्स रवि रंजन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड* (उपरोक्त) के मामले में यह निर्णय लिया गया कि पक्षकार सहमति से ऐसे न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते जो स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र से वंचित है। जब किसी मध्यस्थता धारा/समझौते में ना तो मध्यस्थता की सीट और ना ही स्थान को निर्दिष्ट किया गया हो, और कारण के किसी भी हिस्से का उत्पन्न होना संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो, तो अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के तहत आवेदन उस उच्च न्यायालय में स्वीकार्य नहीं होगा।

29. याचिकाकर्ता ने *असीम वत्स बनाम भारत संघ और अन्य*, मनु/आरएच/1285/2023, *होमविस्टा डेकोर एंड फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कनेक्ट रिसिडुएरी प्राइवेट लिमिटेड*, मनु/डब्लूबी/1155/2023, *सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एन्नू कॉर्प लिमिटेड*,

मनु/डीई/4152/2023 को यह प्रस्तुत करने के लिए आधार बनाया है कि भले ही वहाँ कार्रवाई का कोई हिस्सा उत्पन्न न हुआ हो, पक्ष फिर भी किसी तटस्थ स्थान पर सहमत हो सकते हैं। तथापि, उपरोक्त निर्णय मध्यस्थता खंड के रूप में अलग-अलग हैं, उपरोक्त मामलों में पक्षकारों ने अपने संबंधित खंडों में एक स्थान या मध्यस्थता की सीट के लिए सहमति व्यक्त की थी, जबकि, वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

30. इस प्रकार, कोई भ्रम नहीं है और कानून स्पष्ट है कि मध्यस्थता के उद्देश्य से, भले ही किसी स्थान पर विवाद का कोई हिस्सा उत्पन्न न हुआ हो, फिर भी पक्षकार क्षेत्राधिकार की एक सीट पर सहमत हो सकते हैं, जो मध्यस्थता अधिनियम के तहत सभी मुकदमेबाजी के लिए स्थान बन जाएगा। तथापि, यदि पक्ष मध्यस्थता की कोई सीट/स्थान निर्दिष्ट नहीं करते हैं, तो न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीपीसी की धारा 16 से धारा 20 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान मामले में मध्यस्थता खंड में पक्षों द्वारा

निर्धारित न तो कोई सीट है और न ही कोई स्थान है। इसलिए, अधिकार क्षेत्र को सीपीसी की धारा 16 से धारा 20 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

32. इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने एक स्टाम्प पेपर खरीदा था और गुड़गांव में अपने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उनके स्वयं के प्रस्तुतीकरण से भी यह स्थापित होता है कि दिल्ली में कार्रवाई का कोई हिस्सा उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी द्वारा यह कहा गया है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1995 में निष्पादित किया गया था। मध्य प्रदेश में स्थित प्रत्यर्थी के होटलों के आंतरिक कार्यों के लिए और प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश में व्यवसाय करता है, यह केवल मध्य प्रदेश के न्यायालय हैं, जिनके पास विवाद को स्थगित करने का अधिकार क्षेत्र है।

33. पूर्वोक्त चर्चा में, यह माना जाता है कि इस न्यायालय के पास वर्तमान याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसे एतद्द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

मई 21, 2024/आरएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*